

आदेश व इजलारा राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 234/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड, शाखा-यूनिट नम्बर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाड़िया टावर,  
अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. प्रहलाद सिंह राठौड़ पुत्र श्री तेज सिंह,  
पता :- प्लॉट नम्बर 48, त्रिवेणी धाम, मथूरादासपुरा, जयपुर राजस्थान।  
एवं प्लॉट नम्बर 48, त्रिवेणी धाम, मथूरादासपुरा, जयपुर, राजस्थान।
2. श्रीमती किरण कंवर पत्नी श्री प्रहलाद सिंह राठौड़,  
पता :- प्लॉट नम्बर 48, त्रिवेणी धाम, मथूरादासपुरा, जयपुर राजस्थान।  
एवं प्लॉट नम्बर 48, त्रिवेणी धाम, मथूरादासपुरा, जयपुर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं सहऋणी



The application under section 14 of The Securitization and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act, 2002

उपस्थित:-श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 28.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.11.2017 को पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी श्रीमती किरण कंवर पत्नी श्री प्रहलाद सिंह राठौड़ के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नम्बर 48, त्रिवेणी धाम, ग्राम मथूरादासपुरा, तहसील-जमवारासमगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 49.95 वर्गगज को बन्धक रख कर 6,70,677/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असाफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.12.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।


ट  
पुर

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मलीगति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18, दिसम्बर 2015 कम संख्या 23 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 6,70,677/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 4,25,949/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 26.12.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती किरण कंवर पत्नी श्री प्रहलाद सिंह राठौड के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नम्बर 48, त्रिवेणी घाम, ग्राम मथुरादासपुरा, तहसील-जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 49.95 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 28.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(राजेंद्र विशाल)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर